समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा संचालित विकलांग बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं

क्रम सं.	विकलांग बच्चों के लिए योजनाओं का नाम एवं संक्षिप्त विवरण।	पात्रता मापदंड	दी जाने वाली सेवाएँ	कैसे और कहां आवेदन करें	संबंधित अधिकारी का नाम जिससे संपर्क किया जाना है	वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल लाभार्थियों की संख्या एवं हस्तांतरित राशि।
1.	विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।	• आवेदक वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा यदि वह- • आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से कम से कम 5 वर्ष पूर्व तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए। • उसकी/उसकी वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से एक लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। • भुगतान प्राप्त करने के लिए किसी भी बैंक में 'एकल-संचालित' खाता होना चाहिए। • आवेदक की	Rs.2500/- प्रति माह	ए) लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक ई-जिला पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, पोर्टल का लिंक निम्नानुसार है: https://edistrict.delhigovt.nic.in/Account/Login बी) नाबालिगों के मामले में, पहले माता-पिता का आधार पंजीकृत किया जाएगा और फिर नाबालिग का आधार प्रोफाइल में संलग्न किया जाएगा। सी) आवेदन भरने के लिए आधार संख्या अनिवार्य है - आधार के बिना आवेदन पोर्टल काम नहीं करेगा. डी) आवेदन करने के लिए निम्नलिखित के लिए स्व-सत्यापित दस्तावेजी प्रमाण को स्कैन करके अपलोड करना होगा। 1. आयु प्रमाण 2. निवास प्रमाण 3. बैंक खाता संख्या (एकल खाता). इस प्रावधान में उन नाबालिगों के मामले में ढील दी जा सकती है जो संरक्षकता के तहत बैंक खाता खोल सकते हैं।. 4. मानदंडों के अनुसार सरकारी अस्पताल द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र।	जिला समाज कल्याण अधिकारी इस योजना के अंतर्गत मंजूरी/जारी करने वाला प्राधिकारी है। विवरण देखने के लिए यहां क्लिक करें	योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कुल संख्या 19725 (मार्च, 2024 से फरवरी, 2025 तक)। कुल वितरित राशि- रु. **4,93,12,500/-** भुगतान का तरीका- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) पोर्टल द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के आधार नंबर / खाता संख्या के अनुसार लाभार्थी के बैंक खाते में सहायता राशि भेजी जाती है।

		विकलांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए। • आवेदक किसी अन्य स्रोत से ऐसी किसी सहायता का प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए		5. आवेदक का एक पासपोर्ट आकार का फोटो। 6. पोर्टल पर दिए गए प्रारूप में आय की स्व-घोषणा।		
2.	सुगम्य सहायक योजना (बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की गतिशीलता और क्षमता को सुविधाजनक बनाने के लिए) इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को टिकाऊ और	1. आवेदक को विकलांगता प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता (40% या अधिक विकलांगता) वाला व्यक्ति होना चाहिए। 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए . 3. परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय सीमा 8,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी	टिकाऊ और मानकीकृत सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, ब्रेल किट, श्रवण यंत्र, बैसाखी, कैलिपर्स, वॉकर और स्मार्ट फोन आदि	लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक अपने-अपने जिलों में आयोजित सुगम्य सहायक शिविर में जा सकते हैं।	जिला समाज कल्याण अधिकारी इस योजना के अंतर्गत मंजूरी/जारी करने वाला प्राधिकारी है। विवरण देखने के लिए यहां	सुगम्य सहायक योजना को 23 जनवरी, 2024 को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचित किया गया। अब तक कुल 10 मूल्यांकन शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों के माध्यम से कुल 347 लाभार्थियों को लाभ मिला, जिनमें से 169 विकलांग बच्चे थे जिन्हें सहायता और उपकरण प्राप्त हुए . कुल व्यय 62,49,337 रुपये हुआ, जिसमें से लगभग 19

	मानकीकृत गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण और सहायता उपकरण प्रदान करके उनके दैनिक जीवन में उनकी गतिशीलता को बढ़ाना और सशक्त बनाना है।	चाहिए। 4. आधार कार्ड होना चाहिए। 5. आवेदक को पिछले तीन (3) वर्षों के दौरान किसी अन्य सरकारी योजना से समान वस्तु प्राप्त नहीं करनी चाहिए। हालाँकि, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, निर्मित उपकरणों के लिए कोई सीमा लागू नहीं होगी।	सामाजिक कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जिलों में शिविरों के आयोजन के माध्यम से बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त में वितरित किए जाते हैं।		क्लिक करें	लाख रुपये विकलांग बच्चों पर खर्च किए गए। विवरण देखने के लिए यहां क्लिक करें